राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
कैलाश नाथ काटजू, उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.)
Ph-: 07422–297178 (O) 07422–297178 (Fax)

क्र. / अधि. / 21–22 / 947 दिनांक:–25/8/2021

प्रति,

श्रीमान अधिष्ठाता कृषि संकाय
रा.वि.सिं.कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

द्वारा: उचित माध्यम
विषय: फल बगीचा नीलामी की नियम एवं शर्ते वर्ष 2021–22 विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर के निर्देशात्मक सह अनुसंधान फल बाग में लगें अमरुद, ऑवला, संतरा, बेर एवं बेल आदि फल वृक्ष की नीलामी दिनांक 02.09.2021 को होनी है। अतः उपरोक्त फलवृक्षों की नीलामी से संबंधित नियम एवं शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

25/08/2021

विभाग प्रमुख एवं प्रभारी फल बगीचा
फल विज्ञान विभाग

अधिष्ठाता
उद्यानिकी महाविद्यालय
मन्दसौर

अधिष्ठाता
उद्यानिकी महाविद्यालय
(म. प्र.)

कार्यालय, अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.)

फल नीलामी के नियम एवं शर्तें:(वर्ष 2021–22)

1. नीलामी तभी मान्य की जायेगी जबकि नीलामी में भाग लेने वाले की संख्या कम से कम तीन होगी। नीलामी की संतोषप्रद बोली न लगाने पर नीलामी रद्द कर दी जायेगी । नीलामी की अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को फल वृक्षों के फलों का ठेका दिया जायेगा ।
2. नीलामी प्राप्तकर्ता को तीन दिवस में नीलामी स्वीकृति की सम्पूर्ण राशि जमा करनी होगी अथवा इस बीच कोई अवकाश आता है तो आगामी कार्यालयीन दिवस में जमा करनी होगी। अधिकतम बोली लगाने वाले प्रथम तीन व्यक्तियों की धरोहर राशि कार्यालय में ही जमा रहेगी। अगर उक्त व्यक्ति द्वारा निर्धारित समय में स्वीकृत सम्पूर्ण नीलामी राशि जमा नहीं करा पाता है तो उसकी जमा धरोहर राशि राजसात कर दूसरे व तीसरे अधिकतम बोलीकर्ता को क्रय करने पर अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।
3. फसल की चौकीदारी रखरखाव एवं किसी भी तरह के नुकसान की पूर्ण जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। फल तुडाई एवं अन्य कार्य मे लगे श्रमिकों के साथ हुई किसी भी तरह की दुर्घटना की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
4. नीलामी के पश्चात् फल वृक्षों में हवा, आंधी, तूफान, पाला, रोग एवं कीट व्याधि से हुए नुकसान की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। नीलामी होने के पश्चात् अंकन 500/– (पाँच सौ रूपये) इकरारनामा का खर्च ठेकेदार द्वारा किया जावेगा । उसके बिना कार्य प्रारम्भ नही कर पायेगा।
5. नीलामीप्राप्तकर्ता को अलग से अस्थाई विद्युत कनेक्शन बिजली जलाने के लिये लेना होगा।
6. नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा फलों की कतारों के बीच में लगी फसल को कोई नुकसान नही पहुचाया जावेगा तथा फलवृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचाएगा।
7. नीलामी प्राप्तकर्ता फल प्रक्षेत्र पर किसी तरह के जानवरों को नही रख सकेगा साथ ही घास आदि नहीं काट सकेगा उसका अधिकार सिर्फ फलों पर ही रहेगा ।
8. नीलामीप्राप्तकर्ता फल वृक्षों पर किसी प्रकार की कोई दवाई आदि, महाविद्यालय की बिना अनुमति के नही डालेगा। साथ ही फल वृक्षों की शाखाओं को सहारा देने का कार्य स्वयं नीलामी प्राप्तकर्ता को करना होगा।
9. छात्रो द्वारा अनुसंधान कार्य के लिये प्रयुक्त वृक्षों के फल नियमानुसार ही तोड़े जायेगें व ठेका मालिक को इसकी पूर्व जानकारी दी जायेगी। अनुसंधान के उद्देश्य से अमरुद फल बगीचो में बंधी गुटीयों को विद्यार्थीयों / मजदूरों द्वारा काटा जावेगा।

10. जल उपलब्धता अनुसार फल बगीचों में सिंचाई की जावेगी (अधिकतम तीन सिंचाई)।
11. विभाग के स्नातकोत्तर विधार्थीयो द्वारा अनुसंधान / शोध परीक्षणो हेतु चयनित फल वृक्षो से फल तुडाई पूर्व विभाग प्रमुख/चेयरमेन /विधार्थी को एक दिन पूर्व सूचित किया जाना होगा।
12. बगीचो मे कृषण कार्यो मे ठेके पर लगे श्रमिक बगीचो की नीलामी मे भाग नही ले सकेगे यदि वे बगीचो की नीलामी मे भाग लेते है तो उन्हे ठेका श्रमिक कार्य छोडना होगा ।
13. नीलामी प्राप्तकर्ता विद्यालयीन विद्यार्थीयों के साथ अभ्रद व्यवहार नही कर सकता एवं किसी भी प्रकार की समस्या हेतु विभाग प्रमुख/अधिष्ठाता से बातचीत की जावेगी। विद्यार्थीयों से किसी भी प्रकार का विवाद करने पर वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी।
14. नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा आवाजाही महाविद्यालय के मुख्य द्वार से ही की जावेगी, एवं परिसर में वाहनो की गती नियंत्रित रखी जावेगी। परिसर में किसी भी प्रकार का तेज शोर–शराबा,एवं किसी भी प्रकार की नशेली सामाग्री के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा कार्य पर लगाए गए सभी मजदूरो का आधार कार्ड की छायाप्रति कार्यालय मे जमा करना अनिवार्य होगा। इनके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिब्रंध होगा।
15. नीलामी प्राप्तकर्ता फलो की तुडाई फल फसल अनुसार निम्नलिखित दिनांक तक कर सकेगा । अमरुद – 15.03.2022 ,ऑवला –31.01.2022 ,संतरा – 31.12.2021, नीबू–15.12.2021 बेर 31.03. 2022 ,बेल 31.05.2022
16. नीलामी के दौरान कोरोना (कोविड–19) संकमण को देखते हुए फल नीलामी की भागीदारी में उपस्थित सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा साथ ही आपसी दूरी बनाए रखनी होगी।
17. नीलामी से संबन्धित सर्वाधिकार अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर के पास सुरक्षित रहेगें।

दिनांक ....

स्थान : ....

नीलामी प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर...

नीलामी प्राप्त कर्ता का नाम एवं पता :.................................

....

....

अधिष्ठाता
उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर